



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार-249404

संख्या:- 30/21/RO-ARO/G-2/2023-24

दिनांक: 13 मई 2024

## प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम

(पूर्व सैनिक के प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम में संशोधन)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारम्भिक परीक्षा-2023 का परीक्षा परिणाम दिनांक 29 फरवरी, 2024 को घोषित किया गया है। इस परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के ऑन-लाईन आवेदन पत्र के परीक्षण से यह संज्ञान में आया कि पूर्व सैनिक के क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी भी इस परिणाम में सफल हुए हैं। इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यालय ज्ञाप प्रेषित कर सूचना प्राप्त की गयी। अभ्यर्थियों द्वारा ई-मेल से पूर्व सैनिक के क्षैतिज आरक्षण का लाभ पूर्व में प्राप्त करने की सूचना उपलब्ध कराई गई है। प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन दिनांक 08.09.2023 के बिन्दु संख्या-6(i) में उल्लेख है कि शासनादेश संख्या-124 दिनांक 22.05.2020 के अनुसार भारत सरकार के O.M. No-36034/27/84-Estt(SCT) Dated 02-05-1985 को अंगीकृत किया गया है, जिसके अनुसार पूर्व सैनिक का लाभ प्राप्त कर नियोजित होने पर पुनः ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्व सैनिक का लाभ प्राप्त नहीं होगा। उक्त प्राविधान पर विचार करते हुए मा0 आयोग द्वारा पूर्व सैनिक के क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके निम्न अभ्यर्थियों का प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम निरस्त कर दिया गया है-

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 149930 | 154542 | 162917 | 180729 | कुल 04 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

2. उक्त अभ्यर्थियों के प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम निरस्त होने के कारण निम्न अभ्यर्थियों को **समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारम्भिक परीक्षा-2023** में सफल घोषित किया गया है:-

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 113187 | 114400 | 149918 | 150993 | 177004 | कुल 05 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**नोट:-** उक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रदान की गयी सूचना के आधार पर औपबन्धिक आधार पर सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों के दावों का परीक्षण उनके मूल प्रमाण पत्रों से किया जायेगा तथा हिन्दी/अंग्रेजी टंकण एवं कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा आयोजित करते हुए अभ्यर्थियों से विभागों/पदों हेतु वरीयता प्राप्त की जायेगी, जिसके क्रम में मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर अर्ह अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया जायेगा।

3. उक्त संशोधन के क्रम में पूर्व सैनिकों के लिए संशोधित कट ऑफ मार्क्स आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गयी है।

-Sd-  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव